"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 317]   रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 अगस्त 2016— भाद्रपद 1, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 7934/डी. 215/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 09-08-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 29 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ राजमार्ग अधिनियम, 2003 (क्रमांक 12 सन् 2003) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ राजमार्ग अधिनियम, 2003 (क्र. 12 सन् 2003), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 2 में,-

(एक) खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(घघ) "रियायत" से अभिप्रेत है यथास्थिति, राज्य शासन या/तथा राजमार्ग प्राधिकारी और किसी व्यक्ति के मध्य किसी राजमार्ग या उसके भाग के विकास, वित्त पोषण और संचालन, जिसमें राजमार्ग के संचालन हेतु एवं उस पर शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण हेतु अनुबंध भी शामिल है, के लिए निष्पादित अनुबंध में विनिर्दिष्ट अधिकार और दायित्व;

"(घघघ) "रियायतग्राही" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति, जिसने यथास्थिति, राज्य शासन या/तथा राजमार्ग प्राधिकारी के साथ किसी रियायत के लिये या उसके संबंध में अनुबंध किया हो;"

(दो) खण्ड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ठ) "राजमार्ग प्राधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य शासन का कोई अधिकारी या कोई प्राधिकारी अथवा कम्पनी जिसे इस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत इस प्रकार नियुक्त किया गया हो;"

धारा 4 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 4 में, शब्द "अथवा किसी प्राधिकारी" के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"या कोई कंपनी, जो सुसंगत विधि के अंतर्गत सम्यक् रूप से पंजीकृत हो तथा राज्य शासन के स्वामित्व और नियंत्रण में हो,"

धारा 6 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"6. **राजमार्ग प्राधिकारी की शक्तियां एवं कृत्य.**-(1) राजमार्ग प्राधिकारी, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य में राजमार्गों के विकास करने हेतु शक्तियों का प्रयोग एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा :

परन्तु यह कि प्राधिकारी, अपने किन्हीं भी कृत्यों का निष्पादन या तो स्वयं या किसी रियायतग्राही के माध्यम से कर सकेगा.

(2) उप-धारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राजमार्ग प्राधिकारी,-

(एक) उसमें निहित अथवा उसको सौंपे गए राजमार्गों का सर्वे, विकास और संचालन कर सकेगा;

(दो) अपने कृत्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक कार्यालयों, कार्यशालाओं और अन्य भवनों का निर्माण कर सकेगा;

(तीन) उसमें निहित अथवा उसको सौंपे गए राजमार्गों के किनारे पर पथिक सुविधाओं का निर्माण और रख-रखाव कर सकेगा;

(चार) पथिक सुविधाओं अथवा इसके निर्माण तथा/या संचालन हेतु अपेक्षित भूमि, अन्य सत्ताओं को पट्टे, उप-पट्टे या अनुज्ञप्ति, ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर दे सकेगा, जैसा कि राज्य शासन अनुमोदित करे;

(पांच) भारत तथा विदेश में सलाहकारी तथा निर्माण सेवायें विकसित कर सकेगा एवं प्रदान कर सकेगा तथा राजमार्ग और इससे संबद्ध सुविधाओं का विकास और संचालन के संबंध में शोध कार्य कर सकेगा;

(छः) इस अधिनियम द्वारा उस पर अधिरोपित कृत्यों के अधिक दक्षतापूर्ण निष्पादन के लिये सुसंगत विधि के अंतर्गत पंजीकृत एक या अधिक विधिक सत्ताओं का गठन कर सकेगा;

(सात) किसी भी राज्य शासन को ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर, जैसा कि उस पर परस्पर सहमति हो, राजमार्ग के विकास हेतु योजनाएं बनाने और क्रियान्वित करने में सहायता प्रदान कर सकेगा;

(आठ) राज्य शासन की ओर से धारा 11-क के अंतर्गत पथ-कर, तथा ऐसे अन्य शुल्क, ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर, जैसा कि विहित किया जाये, संग्रह कर सकेगा;

(नौ) सड़क सुरक्षा प्रोत्साहित करने के लिये उपाय कर सकेगा और परियोजनाएं ले सकेगा; तथा

(दस) ऐसे सभी उपाय कर सकेगा अथवा ऐसे आनुषंगिक उपाय कर सकेगा जो कि इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या उस पर अधिरोपित कृत्यों का निष्पादन करने के लिये आवश्यक या समीचीन हो.

(3) इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, प्राधिकारी, राजमार्ग के संचालन तथा विनियमन हेतु निम्नलिखित के संबंध में विनियम बना सकेगा :-

(एक) राजमार्गों का रख-रखाव और निरीक्षण;

(दो) उपभोक्ताओं की सुरक्षा;

(तीन) सड़क सुरक्षा के मानक और प्रक्रियाये;

(चार) राजमार्गों पर बाधाओं की रोकथाम की रीति;

(पांच) इस प्रयोजन हेतु चिन्हांकित स्थलों के सिवाय राजमार्ग पर वाहनों की पार्किंग या प्रतीक्षा वर्जित करने की रीति;

(छः) राजमार्ग के किसी भी भाग पर पहुंच को वर्जित करने या निर्बंधित करने की रीति;

(सात) राजमार्ग पर और इसके निकट विज्ञापनो को विनियमित करने या निर्बंधित करने की रीति; तथा

(आठ) सामान्यत: राजमार्ग के कुशल और उचित संचालन के लिये."

नवीन धारा 11-क का अन्त:स्थापन.

5. मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"**11-क. राजमार्ग पर प्रदत्त सेवाओं और प्रसुविधाओं हेतु पथकर.**- कोई भी वाहन, ऐसी दर एवं रीति में, जैसा कि राज्य शासन द्वारा राजपत्र में, अधिसूचना के माध्यम से, अधिसूचित किया जाये, उद्ग्रहित पथकर का भुगतान किये बिना, विनिर्दिष्ट राजमार्ग पर प्रवेश नहीं करेगा अथवा उसका उपयोग नहीं करेगा तथा ऐसे वाहन के स्वामी या उपभोक्ता का यह दायित्व होगा कि वह इस प्रकार के शुल्क का भुगतान करें."

नवीन धारा 65-क का अन्त:स्थापन.

6. मूल अधिनियम की धारा 65 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"**65-क. भू अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का सं. 1) का संदर्भ.**- इस अधिनियम में,- (क) जहां भी "भू अर्जन अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम 1 वर्ष 1894)", "भू अर्जन अधिनियम, 1894" अथवा "भू अर्जन अधिनियम" संदर्भित हो, उसको "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30)" से संदर्भित माना जायेगा; तथा

(ख) "भू अर्जन अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम 1 वर्ष 1894) की किसी धारा के संदर्भ को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30) के सुसंगत प्रावधान का संदर्भ माना जायेगा.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 7934/डी. 215/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की संख्यक अधिसूचना दिनांक 23-08-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 29 of 2016)

THE CHHATTISGARH RAJMARG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016

An Act to amend the Chhattisgarh Rajmarg Adhiniyam, 2003 (No. 12 of 2003).

Be it enacted by the State Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Rajmarg (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Chhattisgarh Rajmarg Adhiniyam, 2003 (No. 12 of 2003), (hereinafter referred to as the Principal Act);-

(i) after clause (d), the following shall be inserted, namely :-

"(dd) "Concession" means the rights and obligations specified in a contract entered into between the State Government or/and the Highway Authority, as the case may be, and any person for development, financing and operation of a highway or a part thereof, and includes a contract for operation of, and levy and collection of fee on, a highway;

(ddd) "Concessionaire" means a person who has entered into a contract with the State Government or/and the Highway Authority, as the case may be, for and in respect of concession;"

(ii) for clause (m), the following shall be substituted, namely :-

"(m) "Highway Authority" means an official of the State Government, or any authority, or a company appointed as such under Section 4 of this Act;"

Amendment of Section 4.

3. In Section 4 of the Principal Act, after the words "or any Authority" the following shall be inserted, namely :-

"or a Company duly registered under the relevant law and owned and controlled by the State Government"

Amendment of Section 6.

4. For Section 6 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"6. **Powaers and functions of Highway Authorities.**- (1) A Highway Authority shall exercise powers and discharge duties in accordance with the provisions of this Act for development of highways in the State :

Provided that the Authority may carry out any of its functions either by itself or through a concessionaire.

(2) Without prejudice to the generality of sub-section (1), the Highway Authority may,-

(i) survey, develop and operate highways vested in, or entrusted to it;

(ii) construct offices, workshops and other buildings necessary for discharge of its functions;

(iii) establish and maintain wayside amenities at or near the highways vested in, or entrusted to it;

(iv) lease, sub-lease or licence the wayside amenities or the land, to any other entities, required for construction and/or operation, on such terms and conditions as the State Government may approve;

(v) develop and provide consultancy and construction services in India and abroad and carry on research activities in relation to the development and operation of highways or any facilities there at;

(vi) form one or more legal entities, duly registered under relevant law, to further the efficient discharge of the functions imposed on it by this Act;

(vii) assist, on such terms and conditions as may be mutually agreed upon, any State Government in formulation and implementation of schemes for highway development;

(viii) collect toll tax under Section 11-A on behalf of the State Government, and such other fees on such terms and conditions as may be prescribed;

(ix) undertake measures, projects for promoting road safety; and

(x) take all such steps as may be necessary or expedient for, or may be incidental to, the exercise of any powers or the discharge of any function conferred or imposed on it by this Act.

(3) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority may make regulations for operation and regulation of highways in respect of -

(i) upkeep and inspection of highways;

(ii) safety of users;

(iii) road safety standards and procedures;

(iv) the manner of preventing obstructions on highways;

(v) the manner of prohibiting the parking or waiting of vehicles on highways, except at places earmarked for this purpose;

(vi) the manner of prohibiting or restricting access to any part of the highway;

(vii) the manner of regulating or restricting advertisements on and around highways; and

(viii) generally for the efficient and proper operation of highways."

Insertion of new Sections 11-A.

5. After Section 11 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :-

"**11-A. Toll tax for services or benefits rendered on highways.**- No vehicle shall enter or use a specified highway without payment of toll tax levied at such rates and in

such manner as may be notified by the State Government through Notification in the Official Gazette and it shall be duty of the owner or occupier of a vehicle to tender such fee."

6. After Section 65 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :-

Insertion of new Section 65-A.

"**65-A. Reference to Land Acquisition Act, 1894 (No. 1 of 1894).**- In this Act, - (a) Wherever there is a reference to "the Land Acquisition Act,1894 (Central Act 1 of 1894)", "the Land Acquisition Act,1894" or "the Land Acquisition Act", such reference shall be deemed to be "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013)"; and

(b) Reference to any Section of the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894) shall be deemed to be a reference to relevant provision of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013)."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.